


फर्द अहकाम

न्यायालय उम्खण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर

गोपाल बनाम मेहेरा


पत्र संख्या :- 3 / 2025 (2025)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>से "शुद्ध दौरोठे पाप" अर्थात् किया जाता है।            कुठ वही-के सम्पत्ति वारिस नही है मतः            प्र०पत्र 022-23 की इतव कोर सम्पत्ति नही            है मतः पत्रावली वामे खस कुरेजात हेतु            डिनांक 4/4/25 को पेश होइतक लिखते पा            RAA जयपुर से पत्रावली मिसल प्राप्त हुई            है। निम्नानुसार पत्रावली निम्नानुसार को            पत्रावली डिनांक 4/4/25 को पेश हो</p>	<p>ROA-25/1            337            16/1/2025</p>
<p>4            4/2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक            आदेश..... 23/2/25..... अनुसार आगामी पेशी            दिनांक..... 9/4/25..... को पेश हो ॥</p>	
<p>4            9/25</p>	<p>पत्रावली आज दिनांक 9/4/25            को पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक            जयपुर से प्राप्त हुई। पत्रावली            प्राप्त दिनांक 16/4/25 को पेश हो ॥</p>	
<p>16            2025</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत/व०फ० उपस्थित/कार्यालय सिमेंट/अवलोकन            अनुसार RAA जयपुर से प्राप्त मिसल            अनुसार वांछित पत्रावली इन्फोपालप में 36/2022            से फर्द नही है अर्थात् पत्रावली से संबंधित            नही है। मतः उक्त की जानकारी उम्खण्ड अधिकारी            को दी गई। पत्रावली वामे खस कुरेजात हेतु            डिनांक 21/4/25 को पेश हो</p>	
<p>21            2025</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वादी अर्थात् वामे खस कुरेजात            पर खस सुनी गई। कोई कार्रवाई प्रस्तुत नही</p>	

फर्द अहकाम  
~~सहायक उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डोबडी जिला जयपुर~~  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डोबडी जिला जयपुर  
 गोपाल बनाम महेश

प्रार्थना पत्र संख्या :- 31/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>बिगडी, क्रम: तहसील 31/2025 राकपुर          डाबडी से प्राप्त कृषिगत रिपोर्ट के आधार          पर वाड कमिश्नर जिले किफा जाला है          जिससे निर्णय व जिले पृथक है          लिखवाया गया, परवासी केसल          मुकदमा नंबर 31/2025 इफ्तखरी</p>	

  
 सहायक न्यायाधीश  
 आमेर जयपुर

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



निश्चित वाद संख्या 31/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक : 10.03.2025

1. गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ
2. गोविंदा पुत्र नारायण

समस्त जातियान् बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम पोस्ट किशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ
2. कानाराम पुत्र बीजा
3. किशोर पुत्र बीजा
4. जगदीश पुत्र लादू
5. नान्छा पुत्र मुरलिया
6. नारायण पुत्र बीजा
7. प्रभाती पुत्री जगन्नाथ
8. मांगी देवी पत्नी नान्छा
9. मांगी लाल पुत्र लादू
10. मोहरी देवी पुत्री जगन्नाथ
11. लल्लू पुत्र लादू
12. लालचंद पुत्र जगन्नाथ

जातियान् बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम पोस्ट किशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

13. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।

14. सब रजिस्ट्रार महोदय, तहसील कार्यालय आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 21.04.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि

आराजी वाके ग्राम दलपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू-अभिलेख क्षेत्र रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर खसरा नंबर 234 रकबा 0.955 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238 रकबा 3.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 239 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242/315 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245/316 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/317 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248/318 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 257 रकबा 1.0800 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल रकबा 8.6600 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/15 व वादी संख्या 2 का 1/3 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख

सहायक कलक्टर  
आमेर, जयपुर



प्रकरण संख्या - 31/2025  
यउनवानी - गोपाललाल बनाम महेय कुमार वर्गो  
निर्णय दिनांक - 21.04.2025

में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/15 है, प्रतिवादी संख्या 2 कानाराम का 1/12 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/48 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/48 है, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/24 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/15 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/24 है, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/48 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/15 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/48 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 12 का 1/15 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज चला आ रहा है, हस्तगत वाद में उक्त संपत्ति ही वादग्रस्त है। वाद संपत्ति का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के मध्य आज दिन तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। मनबंट से वंटवारा कर रखा है। परंतु विधिवत तकासमा नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद रहता है। वाद का कारण प्रतिवादी संख्या 3, 4, 9 व 11 द्वारा दिनांक 23.06.2022 को वाद भू-भाग का बेचान करने तथा उस पर प्रोपर्टी डिलरों को लाकर उन्हें मौका मुआयना करवाकर, नाप चोप करवाकर विशिष्ट से वादमूल उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6, 8, 9, 11 के विरुद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.11.2022 इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 7, 10, 12 के अधिवक्ता ने उक्त भूमि का विधिवत विभाजन किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है वाद को प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने से उभयपक्ष पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वाद वादी बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम दलपुरा, पटवार हल्का चतरपुरा, भू-अभिलेख रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 234, 238, 239, 240, 241, 242/315, 245/316, 247/317, 248/318, 257 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 8.6600 की वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 की उपस्थिति में भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स व कब्जे काश्त अनुसार तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी से कुर्रेजात प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात, तर्कों, कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-


1. गोविंदा पुत्र नारायण जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनुपरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 234 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 239 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241/1 रकबा 0.

3/3/25  
सहायक कलक्टर  
आमेर जयपुर




- 0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242/315/1 रकबा 0.7183 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.773 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति बागडा ब्राह्मण, सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 342/315/3 रकबा 0.5147 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. गोविंदा पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/4 महेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. लालचंद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा. खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 241/2 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242/315/2 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, महेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, कानाराम पुत्र बीजा हि. 1/12, किशोर पुत्र लादू हि. 1/48, गोविंदा पुत्र नारायण हि. 1/3, जगदीश पुत्र लादू हि. 1/48, नान्छा पुत्र मुरलिया हि. 1/24, नारायण पुत्र बीजा हि. 1/12, प्रभाती देवी पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, मांगी देवी पत्नी नानछया हि. 1/24, मांगीलाल पुत्र लादू हि. 1/48, मोहरी देवी पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, लल्लू पुत्र लादू हि. 1/48, लालचंद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15 जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 238/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/317/3 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. मोहरी पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/2, प्रभाती पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 242/315/4 रकबा 0.6820 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238/4 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245/316 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/317/1 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238/3 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248/318 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 257/1 रकबा 0.0573 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.1293 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
6. महेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 5147/38527, कानाराम पुत्र बीजा हि. 7058/38527, किशोर पुत्र लादू हि. 1765/38527, जगदीश पुत्र लादू हि. 1765/38527, नानछा पुत्र मुरलिया हि. 3529/38527, नारायण पुत्र बीजा हि. 7058/38527, मांगी देवी पत्नी नानछया हि. 3528/38527, मांगीलाल पुत्र लादू हि. 1765/38527, लल्लू पुत्र लादू हि. 1765/38527, लालचंद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 5147/38527 जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 238/2 रकबा 2.8300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 257/2 रकबा 1.0227 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.8527 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई  
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस



नियमित वाद संख्या 31/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक : 27.06.2022

1. गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ
2. गोविंदा पुत्र नारायण

समस्त जातियान् बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम पोस्ट किशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ
2. कानाराम पुत्र बीजा
3. किशोर पुत्र बीजा
4. जगदीश पुत्र लादू
5. नान्छा पुत्र मुरलिया
6. नारायण पुत्र बीजा
7. प्रभाती पुत्री जगन्नाथ
8. मांगी देवी पत्नी नान्छा
9. मांगी लाल पुत्र लादू
10. मोहरी देवी पुत्री जगन्नाथ
11. लल्लू पुत्र लादू
12. लालचंद पुत्र जगन्नाथ

जातियान् बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम पोस्ट किशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

13. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. सब रजिस्ट्रार महोदय, तहसील कार्यालय आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. गोविंदा पुत्र नारायण जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 234 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 239 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 241/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242/315/1 रकबा 0.7133 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.773 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
- गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति बागडा ब्राह्मण, सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 342/315/3 रकबा 0.5147 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
- गोविंदा पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/4 महेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. लालचंद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/4 जाति बागडा ब्राह्मण सा. खातेदार

सुमन चौधरी  
अधीनस्थ अधिकारी  
जयपुर

के हिस्से खसरा नंबर 241/2 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 242/315/2 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. गोपाललाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, महेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, कानाराम पुत्र बीजा हि. 1/12, किशोर पुत्र लादू हि. 1/48, गोविंदा पुत्र नारायण हि. 1/3, जगदीश पुत्र लादू हि. 1/48, नान्छा पुत्र मुरलिया हि. 1/24, नारायण पुत्र बीजा हि. 1/12, प्रभाती देवी पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, मांगी देवी पत्नी नानछया हि. 1/24, मांगीलाल पुत्र लादू हि. 1/48, मोहरी देवी पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15, लल्लू पुत्र लादू हि. 1/48, लालचंद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/15 जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 238/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/317/3 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. मोहरी पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/2, प्रभाती पुत्री जगन्नाथ प्रसाद हि. 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 242/315/4 रकबा 0.6820 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238/4 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245/316 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 247/317/1 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 238/3 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248/318 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 257/1 रकबा 0.0573 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.1293 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. महेश कुमार पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 5147/38527, कानाराम पुत्र बीजा हि. 7058/38527, किशोर पुत्र लादू हि. 1765/38527, जगदीश पुत्र लादू हि. 1765/38527, नानछा पुत्र मुरलिया हि. 3529/38527, नारायण पुत्र बीजा हि. 7058/38527, मांगी देवी पत्नी नानछया हि. 3528/38527, मांगीलाल पुत्र लादू हि. 1765/38527, लल्लू पुत्र लादू हि. 1765/38527, लालचंद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद हि. 5147/38527 जाति बागडा ब्राह्मण सा. किशनपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 238/2 रकबा 2.8300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 257/2 रकबा 1.0227 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.8527 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 21.04.2025 को जारी किया।

दस्तख्त—  
ओहदा—



*[Signature]*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2	—
स्टाम्प वकालतनामा	2	—	स्टाम्प वकालतनामा	2	—
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4	रुपये	इनर	4	रुपये
मुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मीजान			मुतफरित		
			मीजान		

*[Signature]*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर